संख्या-638/2026/आई/1375633/23-1-26/003-23-1002(002)/200/2026

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 25 जून, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 23 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित **तालिका-1** में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत 23 चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 6,68,17,000/- (रूपये छः करोड़ अड़सठ लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या	दिनांक
1	22814/CE-HQ1/RSN3054/VNS/2026-27	18-06-2026
2	22850/CE-HQ1/RSN3054/VNS/2026-27	19-06-2026
3	22992/CE-HQ1/RSN3054/VNS/2026-27	20-06-2026

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा.ख. वाराणसी	मा० प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के दिनांक-11.09.2025 को वाराणसी आगमन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या-56	45/2026/आई/1214639/23-1-26/001-23-1002(002)/201/2025-दिनांक-23-01-2026	210.88 210.88 176.20 2.97 207.91	145.83	62.08	51.54

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		एन0एच0-31 के किमी0-271.900 से 280. 250 हरहुआ फ्लाई ओवर एप्रोच से वरूणा पुल मार्ग पर मीडियन, डिवाइडर, रेलिंग पेन्टिंग, चकर्ड टाईल्स की मरम्मत, मिसिंग रेलिंग का निर्माण, भोजूबीर से सर्किट हाउस तक सतह सुधार, रोड मार्किंग व अन्य विविध कार्य।					
2	प्रा.ख. वाराणसी	मा० प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के दिनांक-11.09.2025 को वाराणसी आगमन के दृष्टिगत पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग (एस०एच0-120) के किमी0-12. 00 से 14.00 पर स्थित लहरतारा चौकाघाट फ्लाई ओवर पर मीडियन, बैरियर पेन्टिंग, अंधरापुल से सम्मो माता मंदिर तक सर्विस लेन का का सतह सुधार, सर्विस लेन के मीडियन, पेन्टिंग, मिसिंग रेलिंग का निर्माण, रोड मार्किंग व अन्य विविध कार्य।	45/2026/आई/1214639/23-1-26/001-23-1002(002)/201/2025-दिनांक-23-01-2026	216.53 216.53 172.49 11.01 205.52	144.96	60.56	49.74
3	प्रा.ख. वाराणसी	मा० प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के दिनांक 11.09.2025 को प्रस्तावित आगमन के दृष्टिगत दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के किमी0-17.000 से 17.390 तक सतह सुधार किमी0-14.520 से 20.860 तक डिवाइडर फुटपाथ रेलिंग पेंटिंग एवं अन्य विविधि कार्य।	45/2026/आई/1214639/23-1-26/001-23-1002(002)/201/2025-दिनांक-23-01-2026	159.83 159.83 128.23 7.21 152.62	107.55	45.07	37.08
4	नि.ख.-1 गाजीपुर	जैतपुर (उसरा) से जंजीरपुर सम्पर्क मार्ग	549/2025/आई/1136513/23-1-25/001-23-1002(002)/284/2025-दिनांक-07-11-2025	47.94 47.94 39.89 0.20 47.74	16.77	30.97	5.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
5	नि.ख.-1 गाजीपुर	गहमर शायर बरेजी सेवराई मार्ग का अवशेष भाग सम्पर्क मार्ग	598 /2025/आई/1152431/23-1-25/002-23-1002(002)/284/2025- दिनांक-24-11-2025	42.65 42.65 35.41 0.54 42.11	14.93	27.18	2.00
6	नि.ख.-1 गाजीपुर	गहमर शायर बरेजी सेवराई मार्ग के आबादी भाग ग्रामसभा शायर- 0.450 मी., ग्राम सभा-बरेजी-0.480 मी. एवं ग्राम सभा चितर का डेरा- 0.310 में विशेष मरम्मत का कार्य	598 /2025/आई/1152431/23-1-25/002-23-1002(002)/284/2025- दिनांक-24-11-2025	145.38 145.38 112.78 10.21 135.17	50.88	84.29	10.00
7	नि.ख.-1 गाजीपुर	भक्सी दिलदारनगर भदौरा गहमर भतौरा मगरखाई मार्ग (किमी. 23(570) से 23.00 किमी.	598 /2025/आई/1152431/23-1-25/002-23-1002(002)/284/2025- दिनांक-24-11-2025	50.78 50.78 37.85 5.16 45.62	17.77	27.85	5.00
8	नि.ख.-1 गाजीपुर	गगरन से अवकल होते हुए नहर की पटरी तक सम्पर्क मार्ग कि0मी संख्या 1(895).2(835),3, 4(800)	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	50.41 50.41 31.89 10.36 40.05	5.04	35.01	10.00
9	नि.ख.-1 गाजीपुर	पहलवानपुर से बूढ़नपुर सम्पर्क मार्ग कि0मी संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,9(500)	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	121.48 121.48 72.20 30.11 91.37	12.15	79.22	10.00
10	नि.ख.-1 गाजीपुर	चौखड़िया मार्ग ढेलवा जाटपुर सम्पर्क मार्ग कि0मी संख्या 1,2,3,4(750)	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	42.86 42.86 36.02 0.05 42.81	4.29	38.52	36.00
11	प्रा.ख. गाजीपुर	एन0एच0 29 से मड़ई लालनपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य। (आबादी भाग में 300 मीटर सी0सी0 सहित	549/2025/आई/1136513/ 23-1-25/001-23-1002(002)/284/2025- दिनांक-07-11-2025	47.96 47.96 27.29 0.10 47.86	16.78	31.08	28.69
12	प्रा.ख. गाजीपुर	कैथवलियां मेन रोड से गौरा नहर तक मार्ग कि0मी संख्या 1, 2, 3, 4	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	57.21 57.21 36.28 0.19 57.02	5.72	51.30	48.45
13	प्रा.ख. गाजीपुर	गाजीपुर बहरियाबाद मार्ग किमी.38 से सलेमपुर बघाई सं.मार्ग कि0मी संख्या 1, 2, 3, 4	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	45.74 45.74 28.37 0.17 45.57	4.57	41.00	38.72
14	प्रा.ख. गाजीपुर	विशम्भरपुर लालबली के मशीन के पास से टोडरपुर कोठियां यादव बस्ती तक सं.मार्ग कि0मी संख्या 1, 2, 3, 4(500)	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	50.01 50.01 34.40 1.03 48.98	5.00	43.98	41.53

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
15	प्रा.ख. गाजीपुर	मरदह जलालाबाद मार्ग से गहली बसारिकपुर मार्ग कि0मी संख्या 1, 2, 3	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	42.86 42.86 25.94 0.09 42.77	4.29	38.48	36.34
16	प्रा.ख. गाजीपुर	ग्रामसभा नसरतपुर मऊ मार्ग से नई राजभर बस्ती सं.मार्ग कि0मी संख्या 1, 2, 3	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	42.86 42.86 26.22 0.13 42.73	4.29	38.44	36.30
17	प्रा.ख. गाजीपुर	गौरा मुख्य मार्ग से डहरमौवा बाबा गजाधर दास इण्टर कालेज तक सं.मार्ग कि0मी संख्या 1, 2, 3(800)	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	43.44 43.44 35.37 0.10 43.34	4.34	39.00	36.83
18	प्रा.ख. गाजीपुर	भरतपुर महन पलिवार सं.मार्ग कि0मी संख्या 1, 2, 3	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	42.86 42.86 31.58 0.05 42.81	4.29	38.52	36.38
19	प्रा.ख. गाजीपुर	खालिसपुर यादव बस्ती से कोठवां यादव बस्ती तक सं.मार्ग कि0मी संख्या 1, 2, 3	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	42.86 42.86 25.67 2.42 40.44	4.29	36.15	34.13
20	नि.ख. चंदौली	चमेर बंधी से चुप्पेपुर यादव बस्ती होते हुए कुसी माइनर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। कि0मी संख्या Km-1,2,3,4(500)	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	45.23 45.23 36.73 0.17 45.06	4.52	40.54	38.29
21	प्रा.ख. चंदौली	चन्दौली से सलेमपुर अकोढ़ा कला खुर्द मार्ग।	41/2025/आई/858936/23-1-25/002-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-2-दिनांक-22-01-2025	26.70 26.70 20.01 0.03 26.67	18.69	7.98	6.64
22	प्रा.ख. वाराणसी	रजवाड़ी धौरहरा मार्ग का अवशेष भाग के विशेष मरम्मत का कार्य।	549/2025/आई/1136513/23-1-25/001-23-1002(002)/284/2025- दिनांक-07-11-2025	46.45 46.45 38.77 0.13 46.32	16.25	30.07	27.75
23	प्रा.ख. चंदौली	चन्दौली बबुरी मार्ग से जसुरी गंगा नहर पुलिया से पचफेड़वा एन0एचव-2 नहर पुलिया मिसिंग लिंक रोड कि0मी संख्या In Km-1,2,3,4,5(600)	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026- दिनांक-16-03-2026	49.18 49.18 38.5 0.04 49.14	4.92	44.22	41.76
						कुल योग-	**668.17**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 6,68,17,000/- (रूपये छ: करोड़ अड़सठ लाख सत्रह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण**"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

संख्या-638/2026/आई/1375633(1)/23-1-26/003-23-1002(002)/200/2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।